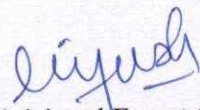


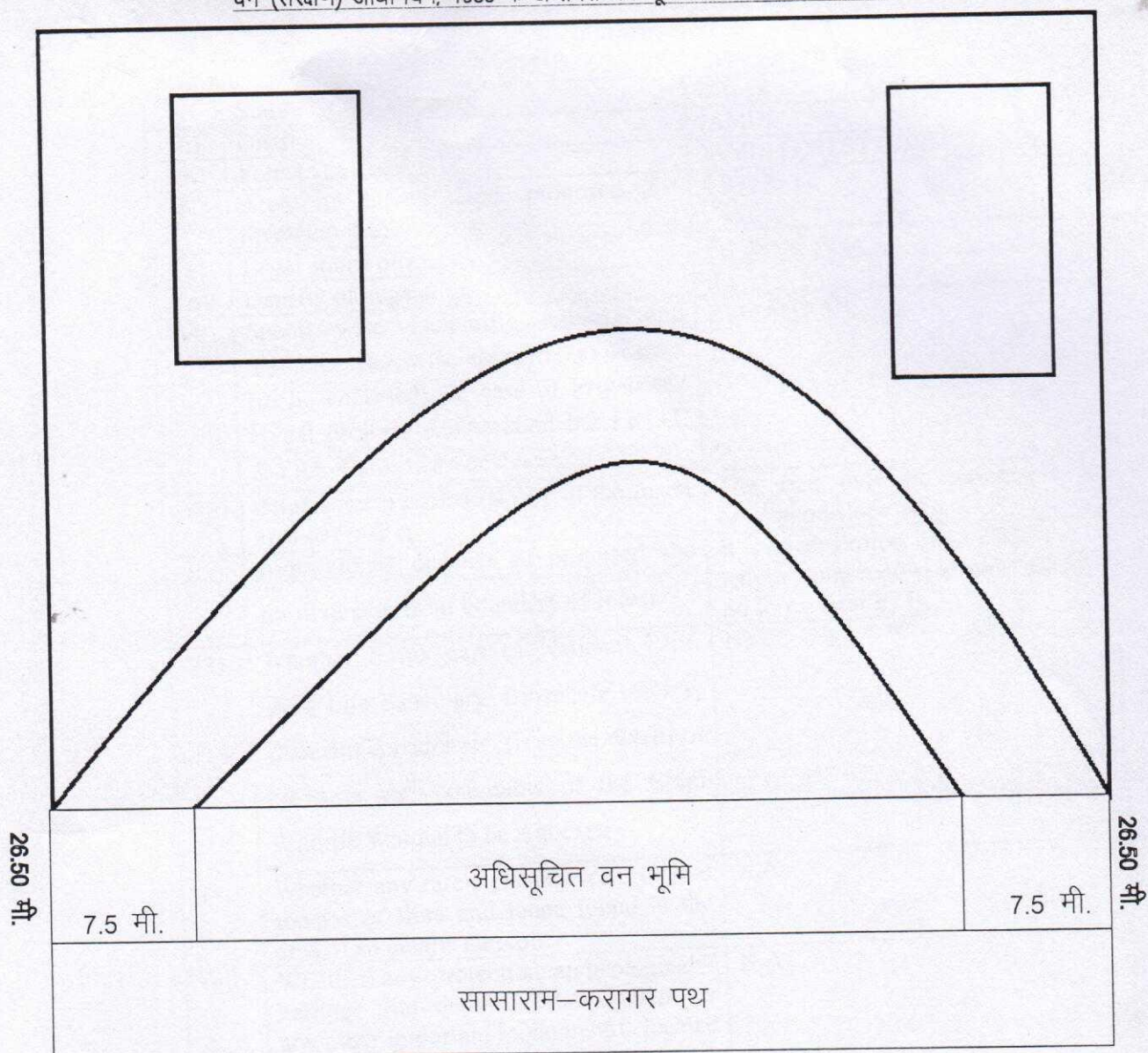
Site Inspection Report

Date of site inspection: - 18 Feb 2021

The possibility of threat to wildlife especially rare / endangered / unique species from BPCL Retail Outlet.. project will be negligible because the user agency will work on the existing road (53 meters), which is declared as protected forest. There is no natural forest area or sanctuary nearby. The proposed area by the user agency for diversion is 53 meters while in field inspection, it was found to be 0.03975 ha area of Protected Forest around. The land (0.03975 ha) required for the project is unavoidable and barest minimum. Till date there is no work carried out which violates Forest conservation Act, 1980.


Divisional Forest Officer
Jamui Forest Division, Jamui.

जमुई जिलान्तर्गत महुँगाय मौज के खाता संख्या-16, 58, प्लॉट संख्या-1996, 1997,
थाना-सोनो में NH-333 सोनो-चकाई पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट खोलन हेतु
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।



अपयोजन की विवरणी-

- (क) प्रवेश पथ- 7.5 मी. चौड़ाई x लम्बाई 26.50 मी. = 198.75 वर्ग मी.
(ख) निकास पथ - 7.5 मी. चौड़ाई x लम्बाई 26.50 मी. = 198.75 वर्ग मी.
कुल अपयोजित होने वाली वन भूमि- प्रवेश (क) + निकास (ख) = 397.50 वर्ग मी.
अर्थात् कुल 0.03975 हे.

[Signature]
Divisional Forest Officer
Jamu Forest Division
Jamu-811305

प्रभु नाथ दास

(प्रभुनाथ दास)
पिता-श्री माहो रविदास
ग्राम-दीनारी, पोस्ट-टीहीया,
थाना-खैरा, जिला-जमुई,
पिन-811305

कार्यालय :-वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

अशोक टाउन हॉल रोड, जमुई। पिनकोड- 811307, फोन नं०- 06345-222036
E-mail I.D-jamuidfo@gmail.com

पत्रांक :-

150

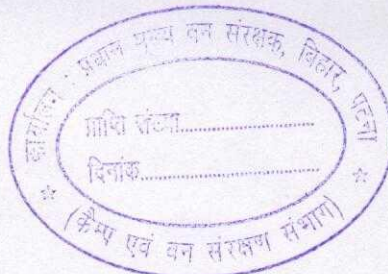
दिनांक :- 18/11/22

प्रेषक,

पीयूष कुमार बरनवाल, भा0व0से0
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-
सह-नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।



विषय :-

श्री प्रभुनाथ द्वारा जमुई जिलान्तर्गत महुँगाय मौजा के खाता नं०- 16, 58 खेसरा नं०- 1996, 1997 थाना-सोनो में NH- 333 सोनो -चकाई पथ के किनारे BPCL रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु (वन संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.03975 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

उप वन संरक्षक संख्या-FC/11/2021-837 दिनांक-09.09.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि जमुई जिलान्तर्गत NH- 333 सोनो - चकाई पथ के किनारे BPCL रिटेल आउटलेट स्थापना स्थल पर 9 यूकेलिप्टस एवं 1 शीशम के वृक्ष हैं। निरीक्षणोंपरांत यह पाया गया कि उक्त स्थल पर अधिसूचित "सुरक्षित" पथ की सीमा में 6 यूकेलिप्टस वृक्ष आ रहे हैं, जिनका पातन किया जा सकता है तथा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव पत्रांक- 408, दिनांक- 23.02.2021 में प्राक्कलन संलग्न किया गया है।

सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमुई वन प्रमंडल, जमुई।